मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,उ0प्र0

203/9, नबीउल्लाह रोड, लखनऊ

ई मेल–lkomdm@gmail.com

फोन नं0–0522–2614721 Website : www.upmdm.org

पत्रांकः म0भो0प्रा0/ C-1501 /2021–22 दिनांक : 24-11-2021

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
   उ0प्र0।
2. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
   उ0प्र0।

विषयः मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों में किचेन–कम स्टोर, मिड–डे मील शेड एवं किचेन गार्डेन विकसित/जीर्णोद्धार/रख–रखाव के संबंध में।

महोदय,

उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों में अवस्थित परिषदीय विद्यालय ग्राम पंचायत के अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं उपयोगी भवनों में से है। इसलिए सचिव, भारत सरकार स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय एवं सचिव, भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित अर्द्ध शा0 पत्र दिनांकः 16 सितम्बर, 2021 द्वारा ग्राम पंचायतों में उपलब्ध 14वें एवं 15वें वित्त आयोग की निधियों से ग्राम पंचायत में अवस्थित परिषदीय विद्यालयों में वरीयता के आधार पर कतिपय अवस्थापना सुविधाओं को विकसित/जीर्णोद्धार/रख–रखाव के निर्देश दिये गये हैं, जिसमें रसोईघर एवं मिड–डे–मील शेड, किचेन वाटिका भी सम्मिलित है।

तत्क्रम में महानिदेशक, स्कूल शिक्षा के पत्रांकः नि0का0/ऑ0का0/स0शि0/4131/2021–22 दिनांकः 16 नवम्बर, 2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा जिलाधिकारियों को वरीयता के आधार पर विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के सृजन एवं गतिमान कार्यों को अपने कुशल मार्गदर्शन एवं नेतृत्त में मार्च, 2022 तक पूर्ण कराने के निर्देश प्रेषित किये गये हैं।

अतः अपेक्षित है कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत ऐसे परिषदीय विद्यालयों, जिनमें कतिपय कारणों यथा– स्थलाभाव/स्थानीय विवाद आदि के कारण पूर्व में किचेन–कम स्टोर का निर्माण न हुआ हो अथवा पूर्व में निर्मित किचेन–कम स्टोर किसी कारण से ध्वस्त हो गया हो, में किचेन–कम स्टोर का निर्माण/जीर्णोद्धार/रखरखाव 'आपरेशन कायाकल्प' के अन्तर्गत वरीयता के आधार पर कराना सुनिश्चित करें तथा सूचना से प्राधिकरण को अवगत करायें।

भवदीय

(अनामिका सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकन व दिनांकः उक्तवत्।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
3. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

(अनामिका सिंह)
निदेशक

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय
समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007
वेब-साइट: www.upefa.com ई-मेल: upefaspo@gmail.com दूरभाष: 0522-4024440, 2780384, 2781128

सेवा में,

जिलाधिकारी,
समस्त जनपद–उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः नि0का0/ऑ0का0/स0शि0/ 4131 /2021–22, दिनांक 16 नवम्बर, 2021

विषयः प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 'ऑपरेशन कायाकल्प' के अन्तर्गत अवस्थित परिषदीय विद्यालयों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के संतृप्तीकरण हेतु ग्राम पंचायत निधि के अन्तर्गत केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि से वरीयता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत अवगत कराना है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 1.21 लाख परिषदीय विद्यालय अवस्थित है, जिनमें प्रदेश के लगभग 1.6 करोड़ छात्र–छात्राएं अध्ययनरत् है। विद्यालयों के शैक्षणिक परिवेश के विकास में विद्यालयो की अवस्थानात्मक सुविधाओं की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है, परन्तु विद्यालयों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं यथा शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल, बालक–बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक शौचालय व मूत्रालय (नल–जल आपूर्ति एवं टाईलीकरण), दिव्यांग सुलभ शौचालय, मल्टीपल हैण्डवांशिग यूनिट, विद्यालयों की छतों, दीवारों, फर्श, दरवाजों की वृहद मरम्मत व रंगाई–पुताई, विद्युतीकरण, रसोईघर आदि सुविधाओं के शत–प्रतिशत आच्छादन की प्रतिबद्धता के साथ मा0 मुख्यमन्त्री जी द्वारा जून 2018 में ***"ऑपरेशन कायाकल्प"*** का शुभारम्भ किया गया, जिसके क्रम में मा0 मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के स्तर से निर्गत पंचायतीराज अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या 2706/33–3–2019, दिनांक 30 अक्टूबर 2019 के द्वारा ***14वें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/ग्राम निधि/अन्य मद*** से पोषित 'ऑपरेशन कायाकल्प' के अन्तर्गत उक्त मूलभूत अवस्थापनात्मक सुविधाओं से प्राथमिकता के आधार पर संतृप्त किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये। इसके अतिरिक्त बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 के शासनादेश सं0 420/68–5–2020 दिनांक 08 जून 2020 द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों को उक्त मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं को **मार्च, 2022 तक संतृप्त** करने के निर्देश निर्गत किये गये।

उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों में अवस्थित परिषदीय विद्यालय ग्राम पंचायत के अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं उपयोगी भवनों में से हैं, जहाँ देश की भावी पीढ़ी के भविष्य की नींव तैयार की जाती है। इसलिए सचिव, भारत सरकार स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय एवं सचिव, भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित अत्यन्त महत्वपूर्ण अर्द्ध0शासकीय पत्र संख्या–एफ. 27–7/2021–आई.एस.–9 दिनांक 16 सितम्बर, 2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा ग्राम पंचायतों में उपलब्ध 14वें एवं 15वें वित्त आयोग की निधियों से ग्राम पंचायत में अवस्थित परिषदीय विद्यालयों में वरीयता के आधार पर निम्न अवस्थापना सुविधाओं को विकसित/जीर्णोद्धार/रख–रखाव के निर्देश दिये गये हैं :–

1. विद्यालय भवन का रख–रखाव।
2. स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल, नल जल आपूति, हैण्डवॉशिंग यूनिट।
3. बालक एवं बालिकाओं हेतु पृथक–पृथक शौचालय एवं मूत्रालय।
4. सेनिटरी पेड वैडिंग मशीन एवं इन्सीनरेटर।
5. दिव्यांग सुलभ शौचालय एवं विद्यालय परिसर में रैम्प एवं रेलिंग का निर्माण।
6. रसोईघर एवं मिड–डे–मील शेड, किचन वाटिका।
7. क्रियाशील विद्युत संयोजन।

8. कक्षा–कक्ष एवं शौचालय/मूत्रालय का सम्पूर्ण टाइलीकरण।
9. विद्यालय के खिड़की/दरवाजों की जीर्णोद्धार, मुख्य गेट के साथ बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण।
10. खेल के मैदान का विकास एवं रख–रखाव।
11. विद्यालय भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण।

इसके अतिरिक्त उक्त अर्द्ध0शासकीय पत्र में विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा निर्मित **"विद्यालय विकास योजना"** को **"ग्राम पंचायत विकास योजना"** में अनिवार्य रूप से सम्मिलित करते हुये परिषदीय विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण/जीर्णोद्धार/रख–रखाव हेतु राज्य परियोजना कार्यालय, स्कूल शिक्षा द्वारा मानकीकृत ड्राइंग–डिजाइन के अनुसार बाल मैत्रिक एवं दिव्यांग सुलभ अभिगम्यता के अनुरूप ही विकसित किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया गया है। उक्त प्रयोजन हेतु **"तकनीकी मैन्युअल"** का वितरण सभी ग्राम पंचायतों एवं विद्यालयों में किया जा चुका है। **पंचायती राज अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–1789/33–3–2021–4/2021 दिनांक 25 सितम्बर, 2021 (छायाप्रति संलग्न) के बिन्दु संख्या–5 के प्रस्तर–2** में ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष अभियान के रूप में दिनांक 02 अक्टूबर, 2021 से 31 जनवरी, 2022 के मध्य सहभागी ग्राम पंचायत विकास योजना/वार्षिक कार्ययोजना (जी0पी0डी0पी0) तैयार किये जाने के सम्बन्ध में एवं **विद्यालय प्रबंध समिति की कार्ययोजना को जी0पी0डी0पी0 (ग्राम पंचायत विकास योजना) में सम्मिलित किये जाने के** सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश दिये गये है।

साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि पंचायती राज अनुभाग–3 के शासनादेश **संख्या–1751/33–3–2020–38/2020 दिनांक 18 अगस्त, 2020** (छायाप्रति संलग्न) द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपयोग के सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्धान्तों के निर्धारण हेतु बिन्दु संख्या–4 में अंकित किया गया है कि–"**राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत जो धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है, उससे स्कूलों में अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण/विकास को वरीयता दी जाएगी।**"

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार से प्राप्त उक्त अर्धशासकीय पत्र दिनांक 16 सितम्बर, 2021 में प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में ग्राम पंचायतों में उपलब्ध राज्य वित्त आयोग की धनराशि के साथ–साथ 15वें वित्त आयोग की धनराशि से वरीयता के आधार पर विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं के सृजन एवं गतिमान कार्यों को अपने कुशल मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में मार्च, 2022 तक पूर्ण कराने का कष्ट करें, जिससे कि इन ग्राम पंचायतों में अध्ययनरत बालक–बालिकाओं को बेहतर शैक्षणिक परिवेश में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो सके।

संलग्नक–उक्तवत्

भवदीय

(अनामिका सिंह)
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा

पृ0सं0: नि0का0/ऑ0का0/स0शि0/ 4131 /2021–22, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. शिक्षा निदेशक(बे0), उ0प्र0।
4. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद–उत्तर प्रदेश।
5. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बे0), समस्त मण्डल, उ0प्र0।
6. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद–उत्तर प्रदेश।
7. खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त विकासखण्ड–उत्तर प्रदेश।

(अनामिका सिंह)
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा